अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 88/2012

राज किशोर राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा मढ़ौरा, छपरा।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
09 04 2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, छपरा के ज्ञापांक 2219/आ0 दिनांक 24.07.12 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को श्री सुधांशु चौबे, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, छपरा एवं कुमारी सुचेता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रिविलगंज के द्वारा राज किशोर राय, जन वितरण प्रणाली विकेता, अनुज्ञप्ति सं0 16/2007, पंचायत–जजौली, प्रखंड मशरख की दूकान की जॉच की गई। जॉच के क्रम में विकेता की दूकान बंद पाई गई तथा विकेता अनुपस्थित पाए गए। अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा, के ज्ञापांक 579/गो0 दिनांक 22.03.12 के द्वारा उक्त अनियमितता के लिए कारण पृच्छा किया गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पा कर विकेता की अनुज्ञप्ति रदद् कर दी गयी, जिसके विरूद्ध विकेता के द्वारा यह अपील वाद लाया गया है। सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि दिनांक 10.01.12 को जॉच दल अपीलार्थी की दूकान पर करीब 3.00 बजे अपराह्न में पहुँचे थे जबकि अपीलार्थी के द्वारा अपनी दूकान विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में 8.00 बजे प्रातः खोला गया था एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्देशानुसार अन्तयोदय एवं बी0 पी0 एल0 योजना के खाद्यान्न का बैंक ड्राफ्ट जमा करने हेतु 11.00 बजे दूकान बन्द करके अपीलार्थी तरैया (मुरलीपुर) चले गए। साक्ष्य के रूप में अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ बैंक में रूपया जमा करने के जमा रसीद की पर्ची संलग्न किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में नियमित रूप से विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का	

उठाव करके उसका वितरण दूकान से संबद्ध उपभोक्ताओं की बीच किया जाता है।

अपीलार्थी के विज्ञ, अधिवक्ता के द्वारा आगे बताया गया कि एक अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि दूकान के एक दिन बन्द रहने की स्थिति में विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द करने जैसी गंभीर सजा देना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विकेता जान बूझकर जॉच के समय अनुपस्थित रहे। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब के साथ जॉच की तिथि 10.01.12 को बैंक में विभिन्न योजनाओं के खाद्यान्न के लिये पैसा जमा करने से संबंधित रसीद की प्रति संलग्न की गयी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश से ही उस दिन बैंक गये हुये थे। अपीलार्थी के लिए यह आवश्यक था कि अपनी अनुपस्थिति में किसी प्राधिकृत व्यक्ति को दूकान पर रखकर विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में निर्धारित कार्य अवधि के बीच दूकान का खुला रखना भी सुनिश्चित करते। अपीलार्थी को निर्देश है कि भविष्य में किसी भी स्थिति में निर्धारित कार्य अवधि के दौरान दूकान को बंद न रखा जाय। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

07/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

07/4/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 225 /आपूर्ति, दिनांक 10/4/15

प्रतिलिपि – SDO, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

Supply appeal judgement SS-2012 rajkishore.rav

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण